

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ॥

क्रमांक: प.2(1)मुख्यालय / 160 / 2023 /

दिनांक:

प्रभारी,

जिला कारागृह, बालोतरा / ब्यावर / डीग /

डीडवाना / कोटपुतली / फलौदी / सलुम्बर ।

विषय:—उप कारागृहों को जिला कारागृह में क्रमोन्नयन अधिसूचना ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संयुक्त शासन सचिव, गृह (गुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर की प्रति प्रेषित कर लेख है कि निम्नलिखित उप कारागृहों को उनके नाम के सामने अंकितानुसार जिला कारागृह के रूप में घोषित किये जाने की अधिसूचना जारी की गई है। अतः उक्त संबंध में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे।

क्र.सं.	उप कारागृह	जिला कारागृह
1.	उप कारागृह, बालोतरा	जिला कारागृह, बालोतरा
2.	उप कारागृह, ब्यावर	जिला कारागृह, ब्यावर
3.	उप कारागृह, डीग	जिला कारागृह, डीग
4.	उप कारागृह, डीडवाना	जिला कारागृह, डीडवाना—कुचामन
5.	उप कारागृह, कोटपुतली	जिला कारागृह, कोटपुतली—बहरोड
6.	उप कारागृह, फलौदी	जिला कारागृह, फलौदी
7.	उप कारागृह, सलुम्बर	जिला कारागृह, सलुम्बर

संलग्न:—उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(विक्रम सिंह)

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. वित्तीय सलाहकार, महानिदेशालय कारागार राज0 जयपुर ।
2. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर / जोधपुर / उदयपुर ।
3. अधीक्षक / अति. पुलिस अधीक्षक, महानिदेशालय कारागार राज0 जयपुर ।
4. निजी सचिव, महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर ।
5. निजी सहायक, अति. महानिदेशक, कारागार राजस्थान जयपुर ।
6. निजी सहायक, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर ।
7. प्रभारी, समस्त कारागृह, राजस्थान ।
8. समस्त शाखा प्रभारी, मुख्यालय कारागार, जयपुर ।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, मुख्यालय कारागार जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

